

पुस्तक.

एशियन कन्वेंशन प्रिन्सिपली,
संपुस्तक संविधि,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
पुस्तक विभाग नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

संख्या: दिनांक: 3 जनवरी, 2001

विषय:- एशियन पब्लिशिंग स्कूल डिफेंस फ्लैग सेवा तथा एशियन रोड, आगरा को सी०बी०एस०आई० नई दिल्ली से संबन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

सहीदा.

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एशियन पब्लिशिंग स्कूल डिफेंस फ्लैग सेवा तथा एशियन रोड आगरा को सी०बी०एस०आई० नई दिल्ली से संबन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित शर्तियों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की संबन्धित सीमापट्टी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जाएगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 पुस्तकालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनके उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संबन्धित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार के किसी अनुदान को मांग नहीं की जाएगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद तथा तैलिक शिक्षा परिषद में मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कॉलेज फार दि इण्डियन स्कूल सर्विसेज इन्फार्मेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबन्धता प्राप्त होने की तिथि से उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जाएंगे।
- 151 संस्था अधिक एवं शिक्षित कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जाएंगे ।

- 161 कर्मचारियों की सेवाओं में बर्बाद जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अग्रतरीय उच्चतर शिक्षाओं के कर्मचारियों के अनुसूच्य सेवा-नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड नियमित रूप से/संविकाओं में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त कर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की गूठ या सिध्दिलता बरती जा रहा है तो राज्य सरकार द्वारा दृढ़त अनुपस्थित प्रमाण पर वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,


। स्वामि सुन्दर अग्निहोत्री ।
संयुक्त सचिव ।

पु.सं. 339/111/15-7-सं.दिनांक

प्रति निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- प्रमुख संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
- 4- अतिरिक्त भारतीय विद्यालय, उ.प्र., लखनऊ ।
- 5- प्रमुख, सतत उच्चतर शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, आगरा रोड, आगरा ।
- 6- सचिव ।

आज्ञा से,


। स्वामि सुन्दर अग्निहोत्री ।
a संयुक्त सचिव ।